न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 14/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/536

1. चुन्नीराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी एलएम तहसील व जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, अनूपगढ़ शाखा प्रथम खण्ड श्रीविजयनगर
3. गोपीराम पुत्र मनीराम निवासी 14 एलएम तहसील व जिला अनूपगढ़
4. भागीरथ पुत्र मनीराम निवासी 14 एलएम तहसील व जिला अनूपगढ़
5. जुगल किशोर पुत्र बुधराम निवासी 14 एलएम तहसील व जिला अनूपगढ़
6. बनवारीलाल पुत्र बुधराम निवासी 14 एलएम तहसील व जिला अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री जसविन्द्र सिंह लोरे, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं. 2
4. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 3 से 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 18.12.2023 जिसके द्वारा इन्तकाल सं. 361 दिनांक 20.11.2023 को स्वीकृत कर अपीलार्थी की भूमि में से चक 14 एलएम के प.नं. 1/24 मु.नं. 10 के कि.नं. 23/6 में 0.0020है., 24/2 में 0.013है., 25/2 में 0.013है. खाला स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 3 से 6 को दिनांक 16.01.2024 को प्रार्थना पत्र के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ से अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आलौच्य आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय पारित किया गया हैं, अपीलार्थी आलौच्य आदेश से प्रभावित पक्षकार हैं इसलिए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी की भूमि में से खाला दर्ज किये जाने का नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं, जिससे अपीलार्थी स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं। अपीलार्थी के विधिक हितों के रक्षार्थ अपील

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर अपील ग्रहण की जाती हैं।

3. उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि दिनांक 19.11.1984 के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं, आदेश दिनांक 19.11.2024 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अपीलार्थी की भूमि में से सिंचाई विभाग के द्वारा बिना मुआवजा के खाला स्वीकृत किया गया हैं जो कि विधि विरूद्ध हैं। इस संबंध में ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण आज भी लंबित हैं। प्रकरण में मात्र 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण दर्ज किया गया हैं जबकि सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार न्यूनतम 2 बिस्वा भूमि का खाला स्वीकृत किया जाता हैं। मौके पर प्रश्नगत भूमि पर ढाणी बनाकर निवास कर रहा हैं। अपीलार्थी के द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गयी हैं। आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किया गया हैं। आलौच्य आदेश नामान्तरण अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन अ.शा. खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर के पत्रांक/राजस्व/2931 दिनांक 03.11.2023 व खाला स्वीकृति आदेश दिनांक 19.11.1984 के आधार पर स्वीकृत किया गया हैं। प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से सहायक अभियंता उपस्थित आए, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण आदेश विधिसम्मत हैं। विभाग के चक प्लान में खाला दर्ज हैं। अपीलार्थी के द्वारा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में अपील प्रस्तुत की गयी हैं। आज दिनांक तक खाला अस्वीकार नहीं हुआ हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 3 से 6 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत खाला अपीलार्थी व प्रत्यर्थी दोनों की भूमि से होकर गुजरता है, जो कि सिंचाई विभाग के चल प्लान में स्वीकृत दर्ज हैं। अपीलार्थी के द्वारा आदेश दिनांक 19.11.1984 के द्वारा स्वीकृत खाला के विरूद्ध अपील अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं। खाला वर्ष 1984 में स्वीकृत हुआ हैं जबकि ढाणी वर्ष 1989 में बनायी गयी हैं। इस न्यायालय में केवल नामान्तरण के संबधं में जांच की जानी हैं मुआवजा के संबंध में सिंचाई अधिनियम में अलग से प्रावधान हैं। मुख्य खाला की चौड़ाई 2 बिस्वा हैं। जबकि प्रत्यर्थीगण छोटे काश्तकार हैं। मुआवजा के संबंध में इन्हें निश्चित समयावधि में सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन करना चाहिए था। खाला आज दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया हैं। आलौच्य आदेश विधिसम्म्त हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलार अनूपगढ़ के द्वारा प्रार्थी भागीरथ के द्वारा खाला का अंकन

रिकार्ड में करने के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2023 पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर अधिशाषी अभियंता जल संसाधन अ.शा. खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर के आधार पर दिनांक 09.11.2023 को पटवारी को खाला दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रेषित किया तथा दिनांक 18.12.2023 को नामान्तरण स्वीकृत किया गया। प्रश्नगत खाला दिनांक 19.11.1984 को अधीक्षण अभियंता सि. क्षे.वि. विजयनगर वृत इ.न.प. श्रीविजयनगर के द्वारा स्वीकार किया गया हैं जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उभयपक्ष द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया हैं और अपील की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध हैं। उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हैं कि मा. ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ में भी पक्षकारान के मध्य वाद बाबत स्थाई व्यादेश विचाराधीन हैं।

7. प्रकरण में खाला को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया हैं। प्रकरण मा. ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ एवं अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन श्रीविजयनगर के समक्ष लम्बित हैं। जल संसाधन विभाग के चक प्लान में खाला स्वीकृत हैं। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन श्रीविजयनगर से प्राप्त पत्र के आधार पर स्वीकृतशुदा खाला का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण के जरिए अलमदरामद किया गया हैं। न्यायालय की राय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की हैं। न्यायालय आलौच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)